

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

सं० : स्था०नि०/प्रतिवेदन संख्या-78/2016-17/

दिनांक : /02/2017

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत- पुरोला

जिला- उत्तरकाशी

विषय : क्षेत्र पंचायत पुरोला का वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 4 (ब)-1 में शून्य प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में 01 प्रस्तर तथा STAN में शून्य प्रस्तर है। इस प्रस्तर को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 के प्रस्तर की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी (निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड) के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

दिनांक: /02/2017

सं० स्था०नि०/प्रतिवेदन संख्या- 78/2016-17/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्रधारा मार्ग, आईटी0पार्क के पास, देहरादून
- 2- निदेशक, लेखापरीक्षा(आडिट निदेशालय द्वितीयतल- आयुक्त कर भवन, जोगीवाला,मसूरी बीईपास, रिंग रोड देहरादून,
- 3- जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तरकाशी

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2014-15 से 2015-16 के लिये खण्ड विकास अधिकारी, क्षे.पं.- पुरोला, जनपद- उत्तरकाशी पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि में कार्यरत ब्लाक प्रमुख तथा खण्ड विकास अधिकारी का नाम तथा पदनाम

- (i) श्रीमती शारदा राण, - अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत
(ii) सोवेन्द्रसिंह कुमाँई खण्ड विकास अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

- (i) श्री मधुकर मिश्र,वरिष्ठ लेखापरीक्षक
(ii) श्री पी.एल. शर्मा, स.ले.प.अ.
(iii) श्री अर्जुन सिंह स.ले.प.अ.

(स) संप्रेक्षा तिथि 19.12..2016 से 26.12..2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि :2014-15 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : ख.वि.अ. क्षे.पं.- पुरोला, जनपद- उत्तरकाशी

(अ) उपरोक्त यदि ज़िला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायतों की संख्या है:-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्या: 43

भौगोलिक क्षेत्र :-26606 हेक्टर

जनसंख्या :

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या:04

4- (ब) उपसमितियों , स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या:
06

5- कर्मचारियों की संख्या 10

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : - आवासीय भवन,कार्यालय भवन

7- पंचायती राज के अपने प्रोजेक्ट :-

8- योजनाओं की संख्या 15

9- (अ) सामाजिक संरक्षा:-

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित:-01

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें

(द) लाभार्थियों की संख्या:-

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय : आय व्यय विवरण के अनुसार-

(अ)-सामान्य: भाग 3 के अनुसार

(ब) योजनाओं पर प्रत्येक योजना का अलगएवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये। (अलग दर्शाया जाये-

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है -

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मक: कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत- पुरोला, जनपद- उत्तरकाशी के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री पी.एल. शर्मा, स.ले.प.अ श्री अर्जन सिंह स.ले.प.अ .एवं श्री मधुकर मिश्र, व.लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19.12.2016 से 26.12.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थिति:-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0

+	प्रस्तर भाग 4(ब)-1	प्रस्तर भाग 4(ब)-2	STAN
(i)महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर AIR-333/2014-15	01	प्रस्तर-1,2,3,4, -	प्रस्तर-01.2

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	भाग प्रस्तरों की संख्या
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर: -		
(ग) सतत अनियमितताओं की सूची:	-	शून्य
(घ) अप्रस्तुत अभिलेख:	-	शून्य

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 1 :- ठेकेदारों के बिलों से बिक्री कर की ` 2.10 लाख कम कटौती करना।

क्षेत्र पंचायत पुरोला में समाज कल्याण विभाग द्वारा स्पेशल कम्पो-प्लान के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधा के लिए 12 योजनाओं पर निर्माण कार्य किये गये थे। ठेकेदारों को भुगतान किये गये बिलों से बिक्रीकर की धनराशि की कटौती 4.5% की दर से की गयी, जबकि उत्तराखण्ड शासन के बिल अनुभाग-8 के आदेश संख्या- 1093/2012/181(120)/xxvll (108) दिनांक 14.12.2012 की धारा-35 की उपधारा (1) में 06% किया गया था विभाग द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की सूची (सलंगन) के अनुसार विवरण अंकित किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेश की प्रति उपलब्ध न होने के कारण पूर्व निर्धारित 4.5% की दर से बिक्रीकर काटा गया है वर्तमान में 6% की दर से कटौती की जा रही है। सम्बन्धित ठेकेदारों को नोटिस द्वारा सूचित किया जायेगा, वसूली हेतु प्रयास किये जाएंगे।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

क्र.स	कार्य का नाम	भुगतान की गयी धनराशि (₹ में)	4.5% की दर से कटौती (विक्रीकर)	6% की दर से वास्तविक धनराशि	अन्तर की धनराशि
1.	ग्राम म. कुरडा के ग्राम छाडा के अनु.जा. वाछुल्य क्षेत्र में वेसिक स्कूल तक खंडजा एवं नाली निर्माण	5.18000-	23310-	31080-	7770-
2.	ग्राम गुन्दियाट गाँव रा.राज.इ. कालेज के निकट खेल मैदान का निर्माण	973342-	43800-	58400-	14600
3.	ग्राम गुन्दियाट गाँव के अनु. जा. वस्ती भाडिया में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	3,50000-	15150-	21000-	5250-
4.	ग्राम सुनाली में सुलभ शौचालय का निर्माण	10,70000-	48150-	64200-	16050-
5.	ग्राम गुन्दियाटगाव के अनु.जा. वस्ती में सुरक्षा दीवार एवं वाउण्डीवाल	11,37285-	51178-	68237-	17059-
6.	ग्रा.प. सुनाली के कवाडी से जू.हा. स्कूल तक सी.सी. सड़क निर्माण	500,000-	22500-	30,000-	7500-
7.	वि.ख. पुरोला के अंतर्गत ग्राम सनाली के सीताखण्ड में पैदल मार्ग	1926000-	86670-	115560-	28890-
8.	ग्रा.मोल्टाडी के वनगेरा खड्ड पर आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	2298000-	103410-	137880-	34470-
9.	ग्रा. सभा के कलासू तोक में	1517958-	68308-	91077-	22769-

	आर.सी.सी. पुलिया निर्माण				
10.	ग्रा. सभा के वलातमरा नामे तोक में पैदल आर.सी.सी.पुलिया निर्माण	1494902-	67271-	89694-	22423-
11.	ग्रा.गुन्दियाटगाव में अटूनरी नामे तोक में पैदल आर.सी.सी. पुलिया निर्माण	1032412-	46459-	61945-	15486-
12.	ग्रा.गुन्दियाटगाव के खल्लीगाड से भाडिया छानी का अन्दोली तक पेयजल योजना का निर्माण	1,160000-	52200-	69600-	17400-
	कुल योग	13977899-	629006-	838673	209667

भाग-4, अनुभाग (स)

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति खण्ड विकास अधिकारी चम्पावत, जिला-पुरोला, को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था0नि0

